रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 520] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 20, 1971/आश्विन 28, 1893

**No. 520] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 1971/ASVINA 28, 1893**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Economic Affairs)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 17th October* 1971

**S.O. 4033.**—The following order made by the President is published for general information.

ORDER

Whereas by a Proclamation issued on the 15th June, 1971, under clause (1) of article 356 of the Constitution of India it has been declared that the powers of the Legislature of the State of Punjab shall be exercisable by or under the authority of Parliament;

And whereas Parliament has authorised expenditure from the Consolidated Fund of that State for the services of the financial year 1971-72;

And whereas the amount so authorised is found to be insufficient in cases of certain services and also a need has arisen in certain cases for meeting additional expenditure not contemplated in the Annual Financial Statement of that year;

And whereas the House of the People is not in session and it is necessary to authorise expenditure from the Consolidated Fund of that State pending the sanction of such expenditure by Parliament;

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (c) of clause (1) of article 357 of the Constitution, I, V. V. Giri, President of India, hereby authorise that, pending

the sanction by Parliament expenditure of sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule annexed hereto and amounting in the aggregate to the sum of sixteen crores, nine lakhs, seventy-seven thousand, nine hundred and thirty rupees may be incurred from and out of the Consolidated Fund of the State of Punjab towards defraying the several charges during the financial year 197172 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the said Schedule.

THE SCHEDULE

| Serial No. | Demand No. and Services and purposes | Sum not exceeding | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Expenditure Charged on the Consolidated Fund of the State of Punjab | Other Expenditure to be met out of the Consolidated Fund of the State of Punjab | Total |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2—State Excise Duties | .. | 21,47,500 | 21,47,500 |
| 2 | 5—Other Taxes and Duties | .. | 45,000 | 45,000 |
| 3 | 9—General Administration | 50,000 | 5,51,000 | 6,01,000 |
| 4 | 11—Jails | .. | 10,00,000 | 10,00,000 |
| 5 | 12—Police | .. | 52,96,750 | 52,96,750 |
| 6 | 23—Industries | 1,200 | .. | 1,200 |
| 7 | 24—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works | .. | 1,37,50,000 | 1,37,50,000 |
| 8 | 30—Public..Works | .. | 27,59,060 | 27,59,060 |
| 9 | 39—Miscellaneous | 870 | 82,12,550 | 82,13,420 |
| 10 | 46—Capital Outlay on Public Works | .. | 1,39,64,000 | 1,39,64,000 |
| 11 | 48—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes | .. | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 |
| 12 | 51—Loans to Local Funds-Private Parties, etc. | .. | 10,32,00,000 | 10,32,00,000 |
| | TOTAL | 52,070 | 16,09,25,860 | 16,09,77,930 |

V. V. GIRI

President.

[No. F. 3 (13)-FCC[71]

B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

## वित्त मंत्रालय

## (आर्थिक कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1971

**का० आ०** 4033.—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश आम सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

## आदेश

चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन 15 जून, 1971 को जारी की गयी उदघोषणा के द्वारा यह घोषित किया गया है कि पंजाब राज्य के विधान-मण्डल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अ तर्गत किया जा सकेगा;

और चूंकि संसद ने 1971-72 के वित्तीय वर्ष को सेवाओं के लिये उस राज्य की समकित निधि से व्यय किये जाने को प्राधिकृत किया है;

और चूंकि कुछ सेवाओं के मामलों में इस प्रकार प्राधिकृत व्यय की रकम कम पड़ गयी है और साथ ही कुछ मामलों में ऐसे अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पैदा हो गयी है जिसकी कल्पना उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में नहीं की गयी थी;

और चूंकि लोक-सभा का सत्र नहीं हो रहा है और जब तक राज्य की समेकित निधि से व्यय किये जाने को संसद द्वारा प्राधिकृत नहीं किया जाता तब तक उससे व्यय किये जाने की मंजूरी देना आवश्यक है;

इसलिये, अब संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उप-खंड (ग) के अनुसार, मैं, भारत का राष्ट्रपति, वी० वी० गिरि, एतद्द्वारा इस बात का प्राधिकार प्रदान करता हूं कि इस आदेश के साथ लगायी गयी अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में 1971-72 के वित्तीय वर्ष में होने वाले अनेक प्रकार के खर्चों को पूरा करने के लिये, पंजाब राज्य की समेकित निधि से, संसद की मंजूरी मिलने तक, इतनी रकमें खर्च की जाय जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3में उल्लिखित रकमों से अधिक न हों और जिनका जोड़ सौलह करोड़ नौ लाख सतहत्तर हजार नौ सौ तीस रुपया है।

## अनुसूची

| माग संख्या और सेवाएं और प्रयोजन | | निम्नलिखित रकमों से अधिक नहीं | | |
|---|---|---|---|---|
| क्रम सं० | | पंजाब राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय | पंजाब राज्य की समेकित निधि से किया जाने वाला अन्य व्यय | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | 2—राज्य उत्पादन शुल्क | — | 21,47,500 | 21,47,500 |
| | 5—अन्य कर और शुल्क | — | 45,000 | 45,000 |

| 1 | 2 | 3 | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9–सामान्य प्रशासन | 50,000 | 5,51,000 | 6,01,000 |
| 4 | 11–जेलें . . | — | 10,00,000 | 10,00,000 |
| 5 | 12–पुलिस . . | — | 52,96,750 | 52,96,750 |
| 6 | 23–उद्योग . . | 1,200 | — | 1,200 |
| 7 | 24–सामुदायिक विकास प्र-योजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य . . | — | 1,37,50,000 | 1,37,50,000 |
| 8 | 30–सरकारी निर्माण कार्य | — | 27,59,060 | 27,59,060 |
| 9 | 9–विविध . . | 870 | 82,12,550 | 82,13,420 |
| 10 | 46–सरकारी निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय | — | 1,39,64,000 | 1,39,64,000 |
| 11 | 48–सड़क और जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . . | — | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 |
| 12 | 51–स्थानीय निधियों तथा प्राइवेट पार्टियों आदि को ऋण . . | — | 10,32,00,000 | 10,32,00,000 |
| | जोड़ | 52,070 | 16,09,25,860 | 16,09,77,930 |

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति,

[संख्या एफ० 3(13)–एफ०सा०सी०/71
वी० मैत्रेयम, संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971